



कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति

(नीति आयोग, भारत सरकार की दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत)

द्वारा संचालित कार्यक्रमों में लाभार्थी बनने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान की जाती है, ताकि समिति के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्यों से बनाये जाने वाले सदस्यों को दिये जाने वाले लाभ का विवरण—

क्रम	सदस्यता प्रकार	सदस्यता की शर्तें	सदस्यता हेतु दस्तावेज	शुल्क	दिये जाने वाले लाभ
1.	साधारण सदस्य	सदस्य हेतु शिक्षार्थी, कृषक, असंगठित कामगार, नौकरीपेशा, छोटे व्यवसायी एवं अन्य सभी प्रकार के निवासीगण।	पहचान पत्र, मोबाईल संख्या, पता का प्रमाण पत्र, व्यवसायी होने की दशा में व्यवसाय स्थल का पता, बैंक खाता का विवरण।	सदस्यता रू0 50/- एवं प्रत्येक वर्ष रू0 30/- नवीनीकरण शुल्क।	समिति द्वारा संचालित कार्यक्रमों हेतु पात्र, समिति द्वारा संचालित यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र, यशस्वी भवः परामर्श कार्यक्रम एवं यशस्वी भवः पुस्तकालय के माध्यम से संचालित सेवाओं का लाभ, योजनाओं में पंजीकरण, न्यूनतम सेवा शुल्क का लाभ, सरकारी योजनाओं की निःशुल्क जानकारी देना, योजनाओं में पंजीकरण कराना, छात्रवृत्ति योजनाओं में पंजीकरण कराना, उच्च शिक्षा हेतु नामांकन की सुविधा, कौशल विकास मिशन अंतर्गत नामांकन कराना, पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराना आदि।
2.	विशिष्ट सदस्य	शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख एवं गैर सामाजिक संस्थाएं, ट्रस्ट	संबंधित आवेदक का पहचान पत्र, मोबाईल संख्या, ई-मेल, संस्थान का पंजीकरण प्रमाणपत्र, संस्थान के बैंक खाता का विवरण।	सदस्यता रू0 10,000/- एवं प्रत्येक वर्ष रू0 5000/- नवीनीकरण शुल्क।	विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा देय अनुदान योजनाओं, सीएसआर मद से प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने हेतु आवश्यक विवरण उपलब्ध कराना, आवेदन में सहायता करना, आवश्यक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना, संस्थान में आयोजित होने वाले अनुदानित एवं गैर-अनुदानित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आवश्यक कलाकार, सामग्री आदि उपलब्ध कराना एवं अन्य सहयोग।

3.	आजीवन सदस्य	सभी क्षेत्रों के सामान्य एवं विशिष्टजन।	संबंधित आवेदक का पहचान पत्र, मोबाईल संख्या, ई-मेल, संस्थान एवं प्रतिष्ठान से जुड़े होने की अवस्था में पंजीकरण प्रमाणपत्र, संस्थान के बैंक खाता का विवरण।	सदस्यता शुल्क रू0 11,000/- एकमुश्त।	समिति के सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभों से आच्छादित, किन्तु विशिष्ट सदस्य को दिये जाने वाले लाभ को छोड़कर।
----	--------------------	---	--	-------------------------------------	--